देशद्रोह कानून

प्रिलिम्स के लिये

IPC की धारा 124A

मेन्स के लिये

देशद्रोह कानून और संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में असम पुलिस द्वारा असम के असमिया और बंगाली भाषी लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिये एक पत्रकार पर [देशद्रोह]() का आरोप लगाया गया था।

प्रमुख बिंदु

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  - राजद्रोह कानून को 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में अधिनियमित किया गया था, उस समय विधि निर्माताओं का मानना था कि सरकार के प्रति अच्छी राय रखने वाले विचारों को ही केवल अस्तित्व में या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिये, क्योंकि गलत राय सरकार और राजशाही दोनों के लिये नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती थी।
  - इस कानून का मसौदा मूल रूप से वर्ष 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन वर्ष 1860 में [भारतीय दंड संहिता]() (IPC) लागू करने के दौरान इस कानून को IPC में शामिल नहीं किया गया।
  - **वर्तमान में राजद्रोह कानून की स्थिति:** भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक अपराध है।
- **वर्तमान में राजद्रोह कानून**
  - **IPC की धारा 124A**
    - यह कानून राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करता है जिसमें 'किसी व्यक्ति द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित (शब्दों द्वारा), संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है।
    - विद्रोह में वैमनस्य और शत्रुता की सभी भावनाएँ शामिल होती हैं। हालाँकि इस खंड के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशिश किये बिना की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है।
  - **राजद्रोह के अपराध हेतु दंड**
    - राजद्रोह गैर-जमानती अपराध है। राजद्रोह के अपराध में तीन वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
    - इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है।
      - आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होता है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना ज़रूरी है।
- **राजद्रोह कानून का महत्त्व:**
  - **उचित प्रतिबंध::**
    - भारत का संविधान **उचित प्रतिबंध ([अनुच्छेद 19(2)]() के तहत)** निर्धारित करता है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति ज़िम्मेदार अभ्यास को सुनिश्चित करता है साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि यह **सभी नागरिकों के लिये समान रूप से उपलब्ध** है।
  - **एकता और अखंडता बनाए रखना:**
    - राजद्रोह कानून सरकार को **राष्ट्र-विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों का मुकाबला करने में मदद** करता है।
  - **राज्य की स्थिरता को बनाए रखना:**
    - यह **चुनी हुई सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाने में मदद** करता है। कानून द्वारा स्थापित सरकार का निरंतर अस्तित्व राज्य की स्थिरता के लिये एक अनिवार्य शर्त है।
- **राजद्रोह कानून से संबंधित मुद्दे:**

- **औपनविशिकि युग का अवशेष:**
  - औपनविशिकि प्रशासकों ने **ब्रटिशि नीतयिों की आलोचना करने वाले लोगों को रोकने के लयि** राजद्रोह कानून का इस्तेमाल कयि।
  - **लोकमान्य तलिक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सहि** आद जिैसे स्वतंत्रता आंदोलन के दग्गिजों को ब्रटिशि शासन के तहत उनके "राजद्रोही" भाषणों, लेखन और गतविधियिों के लयि दोषी ठहराया गया था।
  - इस प्रकार राजद्रोह कानून का इतना व्यापक उपयोग औपनविशिकि युग की याद दलिाता है।
- **संवधिान सभा का रुख:**
  - संवधिान सभा **संवधिान में राजद्रोह को शामलि करने के लयि सहमत नहीं** थी। सदस्यों का तर्क था कयिह भाषण और अभव्यिक्त की स्वतंत्रता को बाधति करेगा।
  - उन्होंने तर्क दयि कि **लोगों के वरिोध के वैध और संवैधानकि रूप से गारंटीकृत अधकिार को दबाने के लयि राजद्रोह कानून को एक हथयिार के रूप में उपयोग कयि जा सकता है**।
- **सर्वोच्च न्यायालय के नरि्णयों की अवहेलना:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1962 में **केदार नाथ सहि बनाम बहिार राज्य मामले** में धारा 124A की संवैधानकिता पर अपना नरि्णय दयि। इसने देशद्रोह की संवैधानकिता को बरकरार रखा लेकनि इसे अव्यवस्था पैदा करने का इरादा, कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी तथा हसिा के लयि उकसाने की गतविधियिों तक सीमति कर दयि।
  - इस प्रकार, शक्षिवदिों, वकीलों, सामाजकि-राजनीतकि कार्यकर्त्ताओं और छात्रों के खलिाफ देशद्रोह का आरोप लगाना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है।
- **लोकतांत्रकि मूल्यों का दमन:**
  - भारत को तेजी उभरते एक नरि्वाचति नरिंकुश राज्य के रूप में वर्णति कयि जा रहा है, मुख्य रूप से राजद्रोह कानून के कठोर और गणनात्मक उपयोग के कारण।

- **हालयिा वकिास:**
  - **फरवरी 2021** में **सर्वोच्च न्यायालय** (Supreme Court) ने एक राजनीतकि नेता और छह वरषि्ठ पत्रकारों को उनके खलिाफ दर्ज राजद्रोह के कई मामलों में गरिफ्तारी से संरक्षण प्रदान कयि है।
  - **जून 2021 में,** सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दो तेलुगु (भाषा) समाचार चैनलों को जबरदस्ती कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करते हुए राजद्रोह की सीमा को परभिाषति करने पर ज़ोर दयि।
  - **जुलाई 2021 में**, सर्वोच्च न्यायालय में एक याचकि दायर की गई थी, जसिमें देशद्रोह कानून पर फरि से वचिार करने की मांग की गई थी।
    - न्यायालय ने कहा, "सरकार के प्रत असंतोष" की असंवैधानकि रूप से अस्पष्ट परभिाषाओं के आधार पर स्वतंत्र अभव्यिक्त का अपराधीकरण करने वाला कोई भी कानून **अनुच्छेद 19 (1)** (अ) के तहत गारंटीकृत अभव्यिक्त की स्वतंत्रता के मौलकि अधकिार पर अनुचति प्रतबिंध है और संवैधानकि रूप से अनुमेय भाषण पर 'द्रुतशीतन प्रभाव' (Chilling Effect) का कारण बनता है।

आगे की राह:

- IPC की धारा 124A की उपयोगति राष्ट्रवरिोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों से नपिटने में है। हालाँक, सरकार के नरि्णयों से असहमत और आलोचना एक जीवंत लोकतंत्र में मज़बूत सार्वजनकि बहस का आवश्यक तत्त्व हैं। इन्हें देशद्रोह के रूप में नहीं देखा जाना चाहयि।
- उच्च न्यायपालकि को अपनी पर्यवेक्षी शक्तयिों का उपयोग मजसि्ट्रेट और पुलसि को अभव्यिक्त की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले संवैधानकि प्रावधानों के प्रत संवेदनशील बनाने हेतु करना चाहयि।
- राजद्रोह की परभिाषा को केवल भारत की क्षेत्रीय अखंडता के साथ-साथ देश की संप्रभुता से संबंधति मुद्दों को शामलि करने के संदर्भ में संकुचति कयि जाना चाहयि।
- देशद्रोह कानून के मनमाने इस्तेमाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नागरकि समाज को पहल करनी चाहयि।
- भारत वशि्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अभव्यिक्त की स्वतंत्रता का अधकिार लोकतंत्र का एक अनवािर्य घटक है जो अभव्यिक्त या वचिार उस समय की सरकार की नीत के अनुरूप नहीं हो उसे देशद्रोह नहीं माना जाना चाहयि।
- देशद्रोह' शब्द अत्यंत संवेदनशील है और इसे सावधानी के साथ लागू करने की आवश्यकता है।

स्रोत: द हदिू